भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय कंपनी विभाग
केंद्रीय कार्यालय
15, नेताजी सुभाष रोड
पोस्ट बॉक्स संख्या 571
कलकत्ता.

अधिसूचना संख्या डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77 दिनांक 20 जून 1977

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में इसे आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को विनियमित करने में बैंक को सक्षम बनाने के उद्देश्य से, नीचे निर्धारित निदेशों को देना आवश्यक है, एतद्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, (1934 का 2) की धारा 45J, 45K और 45L द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे समर्थ करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करके और समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. डीएनबीसी.21/डीजी(एस)-73 दिनांक 23 अगस्त 1973 का अधिक्रमण करके प्रत्येक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी को निदेश जारी करता है जो यहां इसके बाद निर्दिष्ट हैं।

भाग I - प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और निदेशों का प्रारंभ

इन निदेशों को " विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977" के रूप में जाना जाएगा। ये 1 जुलाई 1977 से प्रभावी होंगे और इन निदेशों के प्रारंभ होने की तिथि के संदर्भ में किसी भी संदर्भ को उस तिथि का संदर्भ माना जाएगा।

2. निदेशों की सीमा

[1][ये निदेश प्रत्येक वित्तीय संस्थान पर लागू होंगे जो एक कंपनी है और जो जम्मू और कश्मीर राज्य में किसी भी स्थान पर निम्न में से किसी भी प्रकार का व्यवसाय करती है और प्रत्येक वित्तीय संस्थान जो एक कंपनी है और जो भारत में किसी भी स्थान पर, नीचे उप-पैरा (2) से (4) में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार का व्यवसाय करती है : -

(1) एक प्रमोटर, फोरमैन, एजेंट या किसी अन्य क्षमता में एकमुश्त या किस्तों में अंशदान या सदस्यता के माध्यम से या इकाइयों, प्रमाणपत्रों या अन्य लिखतों की बिक्री या किसी अन्य तरीके से या किसी भी बचत, पारस्परिक लाभ, मितव्ययिता, या किसी भी अन्य योजना या व्यवस्था चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो के लिए या संबंध में सदस्यता शुल्क या प्रवेश शुल्क या सेवा शुल्क के रूप में धनराशि एकत्र करना और इस प्रकार एकत्र की गई धनराशि या उसके किसी भाग या निवेश से उपार्जित आय का उपयोग करना या निम्नलिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसी धनराशि का अन्य उपयोग करना –

(ए) लॉट, ड्रा या किसी अन्य तरीके से निर्धारित ग्राहकों की एक निर्दिष्ट संख्या को आवधिक या अन्यथा आधार पर नकद या वस्तु के रूप में पुरस्कार या उपहार देना, चाहे पुरस्कार या उपहार प्राप्तकर्ता ऐसी योजना या व्यवस्था के संबंध में आगे भुगतान करने के दायित्व के अधीन हो या न हो।

(बी) योजना या व्यवस्था की समाप्ति या उसमें निर्धारित अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद ग्राहकों को या उनमें से ऐसे लोगों को जिन्होंने कोई पुरस्कार या उपहार नहीं जीता है, वसूल की गई

[1] अधिसूचना संख्या डीएनबीसी 41/ईडी(टी)-79 दिनांक 9 मई 1979 द्वारा प्रतिस्थापित

सदस्यता, अंशदान या अन्य धनराशि को पूरी तरह से या उसके भाग को किसी भी बोनस, प्रीमियम, ब्याज या अन्य लाभ चाहे जो भी नाम दिया जाए के साथ या बिना वापस करना।

(2) एक प्रमोटर, फोरमैन या एजेंट के रूप में किसी भी लेन-देन या व्यवस्था का प्रबंधन, संचालन या पर्यवेक्षण करना जिसके द्वारा कंपनी ग्राहकों की एक निर्दिष्ट संख्या के साथ इस आशय का एक करार करती है कि उनमें से प्रत्येक एक निश्चित अवधि में किश्तों में एक निश्चित राशि की सदस्यता लेगा और यह कि ऐसे ग्राहकों में से प्रत्येक अपनी बारी में, जैसा कि लॉट द्वारा या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा या इस तरह के अन्य तरीके जैसा कि करार में प्रदान किया जाए, से निर्धारित किया जाए, पुरस्कार राशि का हकदार होगा;

<u>स्पष्टीकरण</u>

इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "पुरस्कार राशि" का अर्थ वह राशि होगी, जिसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, सभी ग्राहकों द्वारा प्रत्येक किस्त पर सब्सक्राइब की गई कुल राशि में से कटौती के द्वारा प्राप्त की जाती है।

(ए) एक प्रमोटर या फ़ोरमैन या एजेंट के रूप में कंपनी द्वारा प्रभारित कमीशन या सेवा शुल्क; और

(बी) कोई भी राशि जो एक ग्राहक भुगतान की जा रही शेष राशि के बदले, प्रत्येक किस्त की कुल सब्स्क्रिप्शन में से छोड़ने के लिए सहमत है;

(3) किसी अन्य प्रकार की चिट या कुरी का संचालन करना जो उपरोक्त उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट व्यवसाय के प्रकार से भिन्न है;

(4) उप-पैरा (1) से (3) में निर्दिष्ट व्यवसाय के समान कोई अन्य व्यवसाय करना या चलाना या उसमें शामिल होना या निष्पादित करना।]

<u>3. परिभाषाएँ</u>

(1) इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(ए) "बैंकिंग कंपनी" का अर्थ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 (सी) में परिभाषित बैंकिंग कंपनी है;

(बी) "कंपनी" का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 आई (ए) में परिभाषित कंपनी है, लेकिन इसमें ऐसी कंपनी शामिल नहीं है, जो वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत समाप्त की जा रही है ;

(सी) "जमा" का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 आई (बीबी) में दिया गया है";

(डी) "जमाकर्ता" का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जिसने कंपनी में जमा किया है;

(ई) "फोरमैन" का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो चिट या कुरी करार या किसी अन्य योजना या व्यवस्था के तहत चिट या कुरी या ऐसी योजना या व्यवस्था के संचालन के लिए जिम्मेदार है;

(एफ) "निर्बंध आरक्षित निधियां" में शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि, पूंजी और डिबेंचर मोचन आरक्षित निधियां और किसी कंपनी के तुलन-पत्र में दिखाई या प्रकाशित की गई और लाभ के आवंटन के माध्यम से सृजित कोई अन्य आरक्षित निधियां शामिल होंगी, जो नहीं है (i) भविष्य की किसी देनदारी के

पुनर्भुगतान के लिए या आस्तियों में मूल्यह्रास के लिए या अशोध्य ऋणों के लिए सृजित आरक्षित निधि; या
ii) कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षित निधि;

(जी) "विविध गैर-बैंकिंग कंपनी" का अर्थ इन निदेशों के पैरा 2 में निर्दिष्ट सभी या किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाली कंपनी से है.

(एच) शब्दों या अभिव्यक्तियों जिनका उपयोग किया गया है लेकिन यहां परिभाषित नहीं किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उन्हें सौंपा गया है। यहां या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित नहीं किए गए अन्य शब्दों या अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में दिया गया है।

4. <u>कुछ निश्चित प्रकार के धन जमा पर निदेशों की गैर-प्रयोज्यता</u>

इन निदेशों के पैरा 5 से [2][9बी] और 13 में निहित कुछ भी विविध गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा प्राप्त निम्नलिखित प्रकार की जमाराशियों पर लागू नहीं होगा, अर्थात्: -

i) पैरा 2 के उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट लेन-देन या व्यवस्था के तहत प्राप्त या एकत्रित कोई धन.

ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त कोई धन या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई धन जिसके पुनर्भुगतान की गारंटी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई हो या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी विदेशी सरकार या किसी अन्य विदेशी नागरिक, प्राधिकरण या व्यक्ति से प्राप्त कोई धन.

iii) किसी बैंकिंग कंपनी या भारतीय स्टेट बैंक या केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 51 के तहत अधिसूचित किसी बैंकिंग संस्थान से या तदनुरूपी नया बैंक जैसा कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धार 2 में परिभाषित किया गया है या [बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 (सीसीआई)][3] में परिभाषित सहकारी बैंक से प्राप्त कोई धन.

iv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 (1913 का 7) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड या औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक लिमिटेड, या iv) या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम या [4] [भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) के तहत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या] राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के तहत स्थापित एक राज्य वित्तीय निगम या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट या भारतीय सामान्य बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियों या तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड, या भारतीय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, या [5][एससीआईसीआई लिमिटेड], या भारतीय पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, या बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत गठित कोई भी बिजली बोर्ड या भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, या खनिज और धातु व्यापार निगम

---

[2] अधिसूचना सं. 44/ईडी(बी)-81 दिनांक 15 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रतिस्थापित

[3] अधिसूचना संख्या डीएफसी (सीओसी) 65 डीजी (टी) दिनांक 17 जून, 1992 द्वारा प्रतिस्थापित

[4] अधिसूचना संख्या डीएफसी(सीओसी) 65 डीजी(टी)/91-92 दिनांक 17 जून 1992 द्वारा जोड़ा गया

[5] अधिसूचना संख्या डीएफसी (सीओसी) 71ईडी (एस)/93 दिनांक 12 मई 1993 द्वारा प्रतिस्थापित

लिमिटेड, या कृषि वित्त निगम लिमिटेड, या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लिमिटेड या गुजरात औद्योगिक और निवेश निगम लिमिटेड या [6] [एशियाई विकास बैंक, या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, या] या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कोई अन्य वित्तीय संस्थान या कोई अन्य वित्तीय संस्थान जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है; से प्राप्त ऋण।

(**v**) विलोपित[7]

(**vi**) विलोपित [7]

[8][**vii**) अपने कर्तव्यों के उचित निष्पादन के लिए कंपनी के किसी कर्मचारी से प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त कोई धन:

बशर्ते कि इस तरह की प्रतिभूति जमा की राशि किसी अनुसूचित बैंक या डाकघर में कर्मचारी और कंपनी के संयुक्त नाम से इस शर्त पर जमा की जाती है कि, -

(ए) इसे कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना आहरित नहीं किया जाएगा; और
(**बी**) यह कर्मचारी को उसके रोजगार की शर्तों के अनुसार जमा खाते पर बैंक / डाकघर द्वारा भुगतान किए गए ब्याज के साथ प्रतिदेय होगा;

[9][viii) जारीकर्ता या धारक को उक्त डिबेंचर या बॉन्ड को इक्विटी शेयर पूंजी में बदलने का कोई विकल्प दिए बिना रूपांतरण की पूर्व निर्धारित शर्तों के साथ डिबेंचर या बॉन्ड जारी करके प्राप्त किया गया कोई भी धन ;]

ix) किसी भी शेयर या स्टॉक के लिए सदस्यता के माध्यम से प्राप्त कोई भी धन जहां ऐसे शेयर या स्टॉक आवंटन के लिए लंबित हैं या इस पैरा के खंड (viii) में निर्दिष्ट प्रकार के डिबेंचर या बॉन्ड की सदस्यता के माध्यम से प्राप्त कोई भी धन जहां इस तरह के डिबेंचर या बॉन्ड आवंटन के लिए लंबित हैं और कंपनी के संस्था के अन्तर्नियम के अनुसार शेयरों पर अग्रिम मांग के माध्यम से प्राप्त कोई भी धन जब तक कि कंपनी के संस्था के अन्तर्नियम के तहत शेयरधारकों को इस तरह के धन चुकाने योग्य नहीं हैं।

[10][4ए. संयुक्त जमा

जहां वांछित हो, वहां "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी", " प्रथम या उत्तरजीवी", "कोई भी या उत्तरजीवी" खंड के साथ या बिना संयुक्त नाम जो तीन से अधिक न हों में जमा स्वीकार किए जा सकते हैं]

---

[6] अधिसूचना संख्या डीएफसी(सीओसी)87 ईडी(जेआरपी)/96 दिनांक 24 जुलाई 1996 द्वारा जोड़ा गया

[7] अधिसूचना संख्या डीएफसी (सीओसी) 67 ईडी(एस)-93 दिनांक 10 अप्रैल, 1993 द्वारा विलोपित

[8] अधिसूचना संख्या डीएफसी (सीओसी) 62 डीजी (जे) -91 दिनांक 19 सितंबर, 1991 द्वारा प्रतिस्थापित

[9] अधिसूचना संख्या डीएफसी (सीओसी) 87 ईडी (जेआरपी)-96 दिनांक 24 जुलाई 1996 द्वारा प्रतिस्थापित

[10] अधिसूचना सं. डीएफसी(सीओसी) 65 डीजी(टी)-92 दिनांक 17 जून 1992 द्वारा जोड़ा गया

भाग II - जमा की स्वीकृति

5. विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमा की स्वीकृति

1 जुलाई 1977 को और उसके बाद से, कोई भी विविध गैर-बैंकिंग कंपनी:-

(ए) कोई ऐसी जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी जो मांग पर या नोटिस पर चुकाने योग्य हो या ऐसी जमा राशि की प्राप्ति की तारीख से छह महीने से कम और छत्तीस महीने से अधिक की अवधि के बाद चुकाने योग्य हो या इसके द्वारा स्वीकार की गई किसी भी जमा को नवीनीकृत नहीं करेगी, चाहे वह पूर्वोक्त तिथि के पहले या बाद में हो जब तक कि इस तरह की जमा राशि, या नवीनीकरण के चुकौती की अवधि ऐसे नवीनीकरण की तारीख से न्यूनतम छह महीने और अधिकतम छत्तीस महीने न हो।

बशर्ते कि जहां एक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी ने 1 जुलाई 1977 से पहले, छत्तीस महीने से अधिक की अवधि के बाद चुकाने योग्य जमा स्वीकार किए हों, ऐसी जमाराशियों को, जब तक कि इन निदेशों के अनुसार नवीनीकृत नहीं किया जाता, तब तक इस तरह के जमा की शर्तों के अनुसार चुकाया जाएगा:

बशर्ते आगे कि इस खंड में निहित कुछ भी डिबेंचर या बांड जारी करके प्राप्त किए गए धन पर लागू नहीं होगा;

(बी) प्राप्त या नवीनीकृत नहीं करेगा: -

(i) एक प्रतिभूति-रहित डिबेंचर के विरुद्ध कोई जमा या [11] [शेयरधारक] से कोई जमा या किसी भी व्यक्ति द्वारा गारंटीकृत कोई भी जमा, जो इस तरह की गारंटी देने के समय कंपनी का निदेशक था या है, यदि, ऐसे किसी भी जमा की कोई राशि जो इस उप-खंड में निर्दिष्ट सभी या किसी भी प्रकार की अन्य जमाराशियों जो पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं और कंपनी के बहियों में बकाया हैं की राशि के साथ ऐसी जमाराशियों की स्वीकृति या नवीनीकरण की तारीख को इसके निवल स्वाधिकृत निधियों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है;

(ii) कोई अन्य जमा, यदि इस तरह की जमा की राशि, ऐसी अन्य जमा राशि के साथ, जो इस खंड के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट प्रकार की जमा राशि नहीं है और पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं और कंपनी के बहियों में बकाया हैं, ऐसी जमाराशियों की स्वीकृति या नवीकरण की तारीख को कंपनी के निवल स्वाधिकृत निधियों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है;

[12] [(**iii**) जहां कोई विविध गैर-बैंकिंग कंपनी 12 अप्रैल 1993 को कारोबार शुरू होने पर अपनी निर्धारित सीमा से अधिक जमा रखती है, वह 12 अक्टूबर 1993 से पहले इस तरह की अतिरिक्त जमा राशि को कम से कम आधा कर देगी और 12 अप्रैल, 1994 से पहले शेष राशि को हटा देगी;]

---

[11] अधिसूचना संख्या डीएफसी(सीओसी) 71 ईडी(एस)/93 दिनांक 12 मई 1993 द्वारा संशोधित

[12] अधिसूचना संख्या डीएफसी (सीओसी) 67 ईडी(एस)-93 दिनांक 10 अप्रैल, 1993 द्वारा जोड़ा गया

[13][(**iv**) जहां कोई विविध गैर-बैंकिंग कंपनी 1 अप्रैल, 1997 को कारोबार शुरू होने पर ऊपर खंड (i) या खंड (ii), जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट सीमा से अधिक जमा रखती है, जो पैराग्राफ 5 के स्पष्टीकरण में प्रदान की गई निवल स्वाधिकृत निधि' की परिभाषा में संशोधन के कारण हुआ है, ऐसी कंपनी 31 मार्च, 1998 तक चुकौती या अन्यथा द्वारा अतिरिक्त जमाराशियों को कम करेगी।]

[14] **[स्पष्टीकरण**

निवल स्वाधिकृत निधि का अर्थ है –

(ए) चुकता इक्विटी पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों का कुल योग, जैसा कि कंपनी की नवीनतम तुलन-पत्र में निम्न घटाने के बाद प्रकटीकरण किया गया है -

(i) संचित हानि शेष ;
(ii) आस्थगित राजस्व व्यय; और
(iii) अन्य अमूर्त आस्ति; और

(बी) निम्न का प्रतिनिधित्व करने वाली राशियों से आगे और घटाया जाए

(1) के शेयरों में ऐसी कंपनी का निवेश
(**i**) इसकी सहायक कंपनियां;
(**ii**) एक ही समूह की कंपनियां;
(iii) अन्य सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां; और

(2) को किए गए और के साथ जमा डिबेंचर, बॉण्ड, बकाया ऋण और अग्रिम (किराया खरीद और पट्टा वित्त सहित) का बही मूल्य
(i) ऐसी कंपनी की सहायक कंपनियां; और
(ii) एक ही समूह की कंपनियाँ

उस सीमा तक जहां तक ऐसी राशि उपरोक्त (ए) के दस प्रतिशत से अधिक हो।]

6. जमा की प्रार्थना करने वाले आवेदन पत्र में निर्दिष्ट किए जाने वाले विवरण

1 जुलाई 1977 को और उसके बाद से, कोई भी विविध गैर-बैंकिंग कंपनी किसी भी जमा को स्वीकार, नवीनीकृत या परिवर्तित नहीं करेगी, सिवाय इसके कि जमाकर्ता से कंपनी द्वारा दिए जाने वाले फॉर्म में एक लिखित आवेदन दिया जाए, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58ए के तहत बनाए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां (विज्ञापन) नियम, 1977 में निर्दिष्ट सभी विवरण शामिल होंगे।

7. जमाकर्ताओं को रसीदें देना

(1) प्रत्येक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी प्रत्येक जमाकर्ता [15] [या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह] या उसके एजेंट को, जब तक कि उसने पहले ही ऐसा न किया हो, प्रत्येक राशि जो कंपनी द्वारा इन निदेशों के प्रारंभ होने की तिथि से पहले जमा के माध्यम से प्राप्त की गई है या प्राप्त की जा सकती है के लिए एक रसीद प्रस्तुत करेगी।

(2) उक्त रसीद पर कंपनी के लिए कार्य करने के हकदार अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा और उस पर जमा की तारीख, जमाकर्ता का नाम, शब्दों और अंकों में जमा के माध्यम से कंपनी द्वारा प्राप्त राशि, उस पर देय ब्याज दर और तारीख जिस पर जमा चुकाने योग्य है का उल्लेख होगा।

---

[13] अधिसूचना संख्या डीएफसी(सीओसी)104 ईडी(जेआरपी)/97 दिनांक 31 मार्च 1997 द्वारा जोड़ा गया

[14] अधिसूचना संख्या डीएफसी(सीओसी)104-ईडी(जेआरपी)/97 दिनांक 3 मार्च 1997 द्वारा प्रतिस्थापित

[15] अधिसूचना संख्या डीएफसी(सीओसी) 65 डीजी(टी)-92 दिनांक 17 जून 1992 द्वारा जोड़ा गया

8. जमा रजिस्टर

(1) प्रत्येक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी एक या एक से अधिक रजिस्टर रखेगी जिसमें प्रत्येक जमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित विवरण अलग से दर्ज किए जाएंगे, अर्थात्-

(ए) जमाकर्ता का नाम और पता,
(बी) प्रत्येक जमा की तारीख और राशि,
(सी) प्रत्येक जमा की अवधि और देय तिथि,
(डी) प्रत्येक जमा पर अर्जित ब्याज या प्रीमियम की तिथि और राशि
(ई) प्रत्येक चुकौती की तिथि और राशि, चाहे वह
मूलधन, ब्याज या प्रीमियम का हो,
(एफ) जमा से संबंधित कोई अन्य विवरण।

(2) पूर्वोक्त रजिस्टर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा/ रखे जाएंगे और उस वित्तीय वर्ष जिसमें किसी भी जमा, जिसका विवरण रजिस्टर में निहित है की चुकौती या नवीनीकरण की नवीनतम प्रविष्टि की गई है के बाद कम से कम आठ कैलेंडर वर्षों की अवधि के लिए अच्छी स्थिति में संरक्षित किए जाएंगे:

बशर्ते कि यदि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट खाता - बहियों को अपने पंजीकृत कार्यालय के अलावा किसी भी स्थान पर उस उप-धारा के परंतुक के अनुसार रखती है तो यह इस उप- पैरा का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि पूर्वोक्त रजिस्टर ऐसे अन्य स्थान पर रखा जाता है बशर्ते कि कंपनी रिज़र्व बैंक को उक्त उप-धारा के परंतुक के तहत रजिस्ट्रार के पास दाखिल की गई नोटिस की एक प्रति इस तरह के दाखिल के सात दिनों के भीतर वितरित करती है।

9. बोर्ड रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली जानकारी

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 की उप-धारा (1) के तहत आम बैठक में कंपनी के समक्ष रखी गई निदेशक मंडल की प्रत्येक रिपोर्ट में इन निर्देशों के प्रारंभ होने की तिथि के बाद, विविध गैर-बैंकिंग कंपनी के मामले में, निम्नलिखित विवरण या जानकारी को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

ए) कंपनी के जमाकर्ताओं की कुल संख्या जिनकी जमा राशि का जमाकर्ता के साथ संविदा या इन निदेशों के प्रावधानों ,जो भी लागू हो, के अनुसार चुकौती या नवीनीकरण जैसा भी ममाला हो के लिए देय होने की तिथि के बाद भी जमाकर्ता द्वारा दावा नहीं किया गया है या कंपनी द्वरा भुगतान नहीं किया गया है ; और

बी) पूर्वोक्त खंड (बी) में निर्दिष्ट तिथि के बाद जमाकर्ताओं को देय कुल राशि और अदावाकृत या अदत्त शेष राशि।

(2) उक्त विवरण या जानकारी वित्तीय वर्ष जिससे रिपोर्ट संबंधित है की अंतिम तिथि की स्थिति के संदर्भ में प्रस्तुत की जाएगी, और यदि पूर्ववर्ती उप-पैरा के खंड (बी) में निर्दिष्ट अदावाकृत या अदत्त शेष राशि कुल पांच लाख रुपये से अधिक है तो रिपोर्ट में जमाकर्ताओं को देय और अदावाकृत या अदत्त शेष राशि की चुकौती के लिए निदेशक मंडल द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के बारे में एक विवरण भी शामिल किया जाएगा।

[16][ब्याज और दलाली की दर की अधिकतम सीमा

9ए [17][(1)] [18] [4 मार्च, 2003] को और उसके बाद से, कोई विविध गैर-बैंकिंग कंपनी: -

(**ए)** प्रति वर्ष [19] [ग्यारह] प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर पर जमा आमंत्रित या स्वीकार या नवीनीकृत नहीं करेगी। अंतराल, जो मासिक अंतराल से कम नहीं होगा पर ब्याज का भुगतान या संकलन किया जा सकता है।

[20] [बशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी डिबेंचर या बांड जारी करके प्राप्त किए गए धन पर लागू नहीं होगा;]

[[21]**(बी)** किसी भी दलाल को उसके द्वारा या उसके माध्यम से एकत्र की गई जमाराशियों के लिए नीचे निर्दिष्ट दरों से अधिक दलाली का भुगतान: -

(i)	जहां जमा एक वर्ष की अवधि के लिए है	इस तरह के जमा का एक प्रतिशत
(ii)	जहां जमा एक वर्ष से अधिक है लेकिन दो वर्ष से अधिक नहीं है।	इस तरह के जमा का 1.25 प्रतिशत (प्रतिवर्ष नहीं)
(ii)	जहां जमा दो वर्ष से अधिक के लिए है	इस तरह के जमा का 1.5 प्रतिशत (प्रतिवर्ष नहीं)

[22][(2) 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा.5/2000-आरबी के अनुसार 18 सितंबर 2003 को और उसके बाद से कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, अनिवासी (बाह्य) खाता योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ऐसी जमाराशियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट दर से अधिक दर पर अनिवासी भारतीयों से प्रत्यावर्तनीय जमाराशियों को आमंत्रित या स्वीकार या नवीनीकृत नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण

उपरोक्त जमा की अवधि एक वर्ष से कम और तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

जमाकर्ताओं को जमाराशियों की परिपक्वता की सूचना

[23] [**9एए**. विविध गैर-बैंकिंग कंपनी का यह दायित्व होगा कि वह जमाराशियों की परिपक्वता तिथि से कम से कम दो महीने पहले जमाकर्ताओं को जमाराशियों की परिपक्वता के विवरण की सूचना दें।]

परिपक्वता से पहले जमा का नवीकरण

[24] [[25][9एबी.] जहां कोई विविध गैर-बैंकिंग कंपनी किसी मौजूदा जमाकर्ता को ब्याज की उच्च दर का लाभ उठाने के लिए परिपक्वता से पहले अपनी जमा राशि को नवीनीकृत करने की अनुमति देती है, ऐसी कंपनी जमाकर्ता को ब्याज दर में वृद्धि का भुगतान करेगी, बशर्ते

---

[16] की अधिसूचना संख्या डीएनबीसी.43 ईडी(एस)-81 दिनांक 30 मार्च 1981 द्वारा जोड़ा गया

[17] अधिसूचना संख्या डीएनबीएस 175/सीजीएम(ओपीए)-2003 दिनांक 30 मार्च 1981 द्वारा पैराग्राफ 9ए को 9ए(1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया

[18] अधिसूचना संख्या डीएनबीएस 166/सीजीएम(सीएसएम)-2003 दिनांक 3 मार्च 2003 द्वारा प्रतिस्थापित

[19] अधिसूचना संख्या डीएनबीएस 166/सीजीएम(सीएसएम)-2003 दिनांक 3 मार्च 2003 द्वारा प्रतिस्थापित

[20] अधिसूचना सं. डीएफसी (सीओसी) 67 ईडी(एस)-93 दिनांक 10 अप्रैल, 1993 द्वारा जोड़ा गया

[21] अधिसूचना सं. गैबैंपवि.46/ईडी(बी)/87 दिनांक 24 फरवरी 1982 द्वारा जोड़ा गया

[22] अधिसूचना संख्या डीएनबीएस 175/सीजीएम(ओपीए)-2003 दिनांक 17 सितंबर 2003 द्वारा जोड़ा गया

[23] अधिसूचना संख्या 181 दिनांक 5 अक्टूबर 2004 द्वारा जोड़ा गया

[24] अधिसूचना सं. डीएफसी (सीओसी) 62/डीजी(जे) दिनांक 19 सितंबर, 1991 द्वारा जोड़ा गया

[25] अधिसूचना सं. 181 दिनांक 5 अक्टूबर, 2004 द्वारा पुन: क्रमांकित

(i) जमा राशि का नवीनीकरण इन निदेशों के अन्य प्रावधानों के अनुसार और मूल संविदा की शेष अवधि से अधिक अवधि के लिए किया जाता है; और

(ii) जमा की समाप्त अवधि पर ब्याज [26][उस दर जो कंपनी आमतौर पर भुगतान करती अगर जमा को उस जमा के पूर्ण अवधि के लिए स्वीकार किया जाता] और/या पहले भुगतान की गई है और पुनर्प्राप्त/समायोजित की गई है, से एक प्रतिशत अंक घटाया गया है]

अतिदेय जमा का नवीनीकरण

[27] [[25]**[9एसी]** एक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी, अपने विवेकानुसार, अतिदेय जमाराशि पर या उक्त अतिदेय जमाराशि के एक हिस्से पर जमा की परिपक्वता की तारीख से ब्याज प्रदान कर सकती है, बशर्ते:

क) इन निदेशों के अन्य प्रावधानों के अनुसार अतिदेय जमा की कुल राशि या उसके हिस्से को इसकी परिपक्वता की तारीख से भविष्य की किसी तारीख तक नवीनीकृत की जाती है; और

ख) अनुमत ब्याज ऐसी अतिदेय जमाराशि की परिपक्वता की तारीख को प्रभावी उचित दर पर होगा जो केवल इस प्रकार नवीकृत जमा की राशि पर देय होगा।]

जमाराशियों की चुकौती के संबंध में सामान्य प्रावधान

[28] [न्यूनतम लॉक-इन अवधि और
जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में चुकौती

9बी. (i) कोई भी विविध गैर-बैंकिंग कंपनी अपनी स्वीकृति की तारीख से तीन महीने की अवधि (लॉक-इन अवधि) के भीतर जमा के विरुद्ध कोई ऋण नहीं देगी या जमा की समयपूर्व चुकौती नहीं करेगी:

बशर्ते कि किसी जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, एक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी जमाराशि को समय से पहले, यहां तक कि लॉक-इन अवधि के भीतर, उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त धारक के मामले में जीवित जमाकर्ता/ओं को या जीवित जमाकर्ता/ओं/ नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी के अनुरोध पर मृतक जमाकर्ता के नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी को चुका सकती है। यह राशि मृत्यु प्रमाण प्रस्तुत करने और उससे कंपनी के संतुष्ट होने पर ही चुकाई जाएगी।

एक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी जो एक समस्याग्रस्त
विविध गैर-बैंकिंग कंपनी नहीं है द्वारा
जनता की जमाराशियों की चुकौती

(ii) उप-पैराग्राफ (i) में निहित प्रावधानों के अधीन, एक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी, जो समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी नहीं है को निम्न अधिकार होगाः-

(ए) 5 अक्टूबर, 2004 से , अपने विवेकाधिकार पर जमा की समयपूर्व चुकौती की अनुमति देना:

---

[26] अधिसूचना सं.94.ईडी(जेआरपी)/96 दिनांक 1 जनवरी, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित

[27] अधिसूचना सं. 79 डीजी(टी)/94 दिनांक 31-12-1994 द्वारा जोड़ा गया,

[28] अधिसूचना संख्या 181 दिनांक 5 अक्टूबर 2004 द्वारा प्रतिस्थापित

बशर्ते कि पूर्वोक्त तिथि से पहले स्वीकार की गई जमा के मामले में, ऐसी विविध गैर-बैंकिंग कंपनी, यदि इस तरह के जमा की स्वीकृति के नियमों और शर्तों द्वारा अनुमति दी जाती है, तो जमाकर्ता के अनुरोध पर, जमा की तिथि से तीन महीने की समाप्ति के बाद इसे समय से पहले चुका सकती है।

(बी) जमा की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद जमा राशि के पचहत्तर प्रतिशत तक जमा राशि पर देय ब्याज दर से दो प्रतिशत अधिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना।

<u>एक समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जनता की जमा राशि का पुनर्भुगतान</u>

(iii) उप-पैराग्राफ (i) में निहित प्रावधानों के अधीन, एक जमाकर्ता को आकस्मिक प्रकृति के खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, एक समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी किसी जमा राशि का समयपूर्व भुगतान कर सकती है, या इसके एवज में ऋण दे सकती है जो केवल निम्नलिखित मामले में किए/दिए जा सकते हैं, यथा:

(ए) एक छोटी जमा राशि को पूरी तरह से चुकाना या कोई अन्य जमा राशि जो 10,000/- रुपये से अधिक न हो को चुकाना
(बी) जमा पर देय ब्याज दर से दो प्रतिशत अंक अधिक ब्याज दर पर एक छोटी जमा राशि के विरुद्ध या किसी अन्य जमा के विरुद्ध रु. 10,000/- की राशि तक का ऋण प्रदान करना।

<u>समान क्षमता में एकल/प्रथम नामित जमाकर्ता के नाम पर जमाराशियों की क्लबिंग</u>

(iv) एकल/प्रथम नामित जमाकर्ता के खाते में समान क्षमता वाले सभी जमा खातों को क्लब किया जाएगा और समय से पहले चुकौती के उद्देश्य से एक जमा खाते के रूप में माना जाएगा।

<u>जमाराशियों की समयपूर्व चुकौती पर ब्याज दर</u>

(v) जहां एक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी, चाहे अपने विवेकाधिकार पर या जमाकर्ता के अनुरोध पर, जैसा भी मामला हो, स्वीकृति की तारीख से तीन महीने के बाद, लेकिन परिपक्वता से पहले (जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में समय से पहले चुकौती सहित) जमा राशि का पुनर्भुगतान करती है तो, यह निम्नलिखित दरों पर ब्याज का भुगतान करेगी:

3 महीने के बाद लेकिन 6 महीने से पहले	कोई ब्याज नहीं
6 महीने बाद लेकिन परिपक्वता की तारीख से पहले	देय ब्याज जमा की निर्दिष्ट अवधि पर लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत कम होगा, या यदि उस अवधि के लिए कोई दर निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो उस न्यूनतम दर से 3 प्रतिशत कम होगी जिस पर विविध गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जमा स्वीकार किया जाता है।

<u>स्पष्टीकरण: इस पैरा के प्रयोजन के लिए</u>

(ए) 'समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी' का अर्थ ऐसी विविध गैर-बैंकिंग कंपनी से है जिसने –

(i) परिपक्व जमाराशियों की चुकौती के लिए किसी भी कानूनी मांग को पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा करने से इनकार कर दिया है या विफल रहा है; या

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58एए के तहत सीएलबी को किसी छोटे जमाकर्ता को किसी भी जमा या उसके हिस्से या उस पर किसी ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के बारे में सूचित करता है ; या

(iii) अपने जमा दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल आस्ति प्रतिभूतियों की निकासी के लिए बैंक से संपर्क करता है; या

(iv) जमा या अन्य दायित्वों को पूरा करने में चूक से बचने के लिए विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 के प्रावधानों से राहत या छूट के लिए बैंक से संपर्क करता है; या

(v) बैंक द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या जमाकर्ताओं की ओर से जमाराशियों की चुकौती न करने की शिकायतों के आधार पर या कंपनी के उधारदाताओं की ओर से बकाया राशि का भुगतान न करने की शिकायतों के आधार पर एक समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी के रूप में पहचान की गई है।

(बी) 'छोटी जमा राशि' का अर्थ विविध गैर-बैंकिंग कंपनी की सभी शाखाओं में एक ही क्षमता में एकल या प्रथम नामित जमाकर्ता के नाम पर जमा की गई कुल राशि है जो रुपये 10,000/-से अधिक नहीं है।]

भाग III- विविध

निदेशकों की रिपोर्ट के साथ रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली तुलन-पत्र और खातों की प्रतियां

10. प्रत्येक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी,यदि उसने पहले से ही ऐसा नहीं किया है तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार एक लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस वर्ष के संबंध में एक लेखापरीक्षित लाभ और हानि खाता, जैसा कि कंपनी द्वारा आम बैठक में पारित किया गया है रिज़र्व बैंक को प्रेषित करेगी। इसके साथ ऐसी बैठक के 15 दिनों के भीतर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 (1) के अनुसार ऐसी बैठक में कंपनी के समक्ष रखी गई निदेशक मंडल की रिपोर्ट की एक प्रति भी प्रेषित की जाएगी।

रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ

11. (1) (1) पैराग्राफ 10 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी रिज़र्व बैंक को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट तारीखों के अनुसार अपनी स्थिति के संदर्भ में उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करते हुए एक विवरणी प्रस्तुत करेगी।

(2)(i) प्रत्येक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी, इन निदेशों के लागू होने से या कारोबार शुरू होने से एक महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, रिज़र्व बैंक को एक लिखित विवरण देगी, जिसमें एक सूची होगी, जिसमें निहित होगा :-

(**ए**) इसके प्रमुख अधिकारियों के नाम और आधिकारिक पदनाम;

(**बी**) कंपनी के निदेशकों के नाम और आवासीय पते; और

(**सी**) कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर, उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट विवरणी

(ii) इस उप-पैरा के खंड (i) में निर्दिष्ट सूची में किसी भी परिवर्तन की सूचना रिज़र्व बैंक को इस तरह के परिवर्तन घटित होने के एक महीने के भीतर दी जाएगी।

.[29][पर्यवेक्षण विभाग] को प्रस्तुत की जाने वाली तुलन-पत्र, विवरणी आदि

12. इन निदेशों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक कोई भी तुलन-पत्र, विवरणी या जानकारी रिज़र्व बैंक [30] [पर्यवेक्षण विभाग] के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत कंपनी का कार्यालय स्थित है, जैसा कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है।

---

[29] अधिसूचना संख्या डीएफसी (सीओसी) 87 ईडी (जेआरपी)/96 दिनांक 24 जुलाई, 1996 द्वारा प्रतिस्थापित

[विज्ञापन और विज्ञापन के बदले विवरण

13.(1) प्रत्येक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी विज्ञापन) नियम, 1977 के प्रावधानों का पालन करेगी और उसके तहत जारी किए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित का भी उल्लेख करेगी:

(**ए**) जमाकर्ता को ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में प्रतिलाभ की वास्तविक दर;

(**बी**) जमाकर्ता को भुगतान का तरीका;

(**सी**) जमा की परिपक्वता अवधि;

(**डी**) एक निर्दिष्ट जमा पर देय ब्याज;

(**ई**) ब्याज की वह दर जो जमाकर्ता द्वारा समय से पहले जमा राशि आहरित करने की स्थिति में जमाकर्ता को देय होगी, वे नियम और शर्तें जिनके अधीन जमाराशि का नवीनीकरण किया जाएगा; और

(एफ) नियम और शर्तों से संबंधित कोई अन्य विशेष विशेषताएं जिनके अधीन जमा स्वीकार/नवीकृत किए जाते हैं; और

[30][(**जी**) कि इसके द्वारा निवेदित जमा राशियां बीमाकृत नहीं हैं]

(**2**) जहां कोई कंपनी ऐसी जमाराशियों को आमन्त्रित किए बिना या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे आमंत्रण की अनुमति दिए बिना या प्रेरित किए बिना जमा स्वीकार करने का इरादा रखती है, तो वह जमा स्वीकार करने से पहले, रिज़र्व बैंक के 29[पर्यवेक्षण विभाग] के क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को पंजीकरण के लिए, विज्ञापन के बदले में पूर्वोक्त नियमों में प्रदान किए गए तरीके से विधिवत हस्ताक्षरित एक विवरण प्रेषित करेगी जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां (विज्ञापन) नियम, 1977 के अनुसार विज्ञापन में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक सभी विवरण और यहां इसके ऊपर उप-पैरा (1) में बताए गए विवरण शामिल होंगे।

(3) उप-पैरा (2) के तहत दिया गया विवरण वित्तीय वर्ष जिसमें इसे वितरित किया गया है की समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति तक या तुलन- पत्र को कंपनी के आम बैठक में रखे जाने की तारीख तक या जहां किसी वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई है, वह नवीनतम तारीख जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के प्रावधानों के अनुसार बैठक होनी चाहिए, जो भी पहले हो तक मान्य होगा और उस वित्तीय वर्ष में जमा स्वीकार करने से पहले प्रत्येक उत्तरगामी वित्तीय वर्ष में एक नया विवरण दिया जाएगा।

---

[30] अधिसूचना संख्या गैबैंपवि.162/सीजीएम(सीएसएम)-2002 दिनांक 1 अक्टूबर 2002 द्वारा जोड़ा गया

14. छूट

रिज़र्व बैंक, यदि वह किसी कठिनाई से बचने या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण से आवश्यक समझता है, तो यह रिज़र्व बैंक द्वारा आरोपित किए जाने वाले शर्तो के अधीन सामान्यतया या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी भी कंपनी या कंपनियों के वर्ग को इन निदेशों के सभी या किन्हीं प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए समय का विस्तार दे सकता है या अनुपालन से छूट प्रदान कर सकता है।

15. कतिपय अन्य निदेशों का लागू न होना

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 में निहित कुछ भी इन निदेशों के पैरा 2 में निर्दिष्ट प्रकार के वित्तीय संस्थान पर लागू नहीं होगा।

16. विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1973

के उल्लंघन के लिए की गई या की जा सकने वाली कार्रवाई

एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर संशोधित विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1973 का अधिक्रमण किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा

(i) अर्जित, उपार्जित या उपगत किसी अधिकार, बाध्यता या दायित्व को ;

(ii) उसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई दंड, जब्ती, या सजा;

(iii) पूर्वोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय,

और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है, या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्ती या दंड लगाया जा सकता है जो उन निदेशों का उल्लंघन न किए जाने पर लगाया जाता।

हस्ता/-
(आर.के. हजारी)
उप गवर्नर

संशोधित अधिसूचनाओं की सूची

	अधिसूचना सं	दिनांक
1	74	19 अप्रैल 1994
2	79	31 दिसम्बर 1994
3	81	28 अक्टूबर 1995
4	87	24 जुलाई 1996
5	94	1 जनवरी 1997
6	101	29 मार्च 1997
7	104	31 मार्च 1997
8	145	30 जून 2000
9	147	31 मार्च 2001
10	150	27 जून 2001
11	152	31 अक्टूबर 2001
12	181	5 अक्टूबर 2004

अनुबंध

दूसरी अनुसूची

(कृपया निदेशों का पैरा 12 देखें)

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले प्रदेश

	कार्यालय का नाम और पता	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रदेश
1.	अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, ला गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 009	गुजरात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली
2.	बैंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय, 10-3-8, नृपतुंगा रोड, बैंगलोर -560 002	कर्नाटक राज्य
3.	भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय, होशंगाबाद रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 32, भोपाल-462 011.	[मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य].[31]
4.	भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पोस्ट बैग नंबर 16, भुवनेश्वर -751 001	उड़ीसा राज्य
5.	[32][कोलकाता] क्षेत्रीय कार्यालय, 15, नेताजी सुभाष रोड, [32] [कोलकाता] -700 001	सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
6.	चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, 11, सेंट्रल विस्टा, नया कार्यालय भवन सामने. टेलीफोन भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160 017	हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़

[31] अधिसूचना सं. 150 दिनांक 27 जून, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित

7.	चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, फोर्ट ग्लेशिस, राजाजी सलाई, चेन्नई-600 001.	तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी
8.	गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय, स्टेशन रोड, पान बाजार, पोस्ट बॉक्स नंबर 120, गुवाहाटी -781 001	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य
9.	हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, 6-1-56, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004	आंध्र प्रदेश राज्य
10.	जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, राम बाग सर्किल, टोंक रोड, पी. बी. नंबर 12, जयपुर-302 004.	राजस्थान राज्य
11.	जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नंबर 1, जम्मू-180 012.	जम्मू और कश्मीर राज्य
12.	[31] [कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर - 208 001]	[31][उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य]
13.	मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, चौथी मंजिल, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई-400 018	गोवा और महाराष्ट्र राज्य
14.	नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001	हरियाणा राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

15.	पटना क्षेत्रीय कार्यालय, गांधी मैदान के दक्षिण में पोस्ट बैग नंबर 162, पटना-800 001.	[31] [बिहार और झारखंड राज्य]
16.	तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम -695 033	केरल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप

.[32]फॉर्म - एनबीएस 1

31 मार्च 20... को जमाराशियों पर वार्षिक विवरणी

(जनता की जमाराशियां स्वीकार/धारण करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और एमएनबीसी द्वारा प्रस्तुत किया जाए - अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर)

फाइल संख्या	
आईडी संख्या	
व्यवसाय की प्रकृति	
जिला कोड	
राज्य कोड	
(आरबीआई द्वारा भरा जाए)	

कंपनी का नाम: .....

विवरणी भरने के निदेश – सामान्य

यह विवरणी 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 के पैरा 8(3) द्वारा कवर की गई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा और अधिसूचना संख्या डीएनबीसी.39/(एच)-77 दिनांक 20 जून 1977 के पैरा 11 द्वारा कवर की गई विविध गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख का विचार किए बिना वर्ष में एक बार, 31 मार्च के बाद और 30 सितंबर तक, **31 मार्च को अपनी स्थिति के संदर्भ में** भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय जहां इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है को प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ प्रस्तुत प्रारूप के अनुसार विवरणी के साथ कंपनी के लेखा परीक्षकों का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। हालांकि, केवल भाग 3 के संबंध में, जानकारी नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो विवरणी की तारीख से पहले हो।

एन.बी. *अधिसूचना संख्या गैबैंपवि.135/सीजीएम\(वीएसएनएम)-2000, दिनांक 13-1-2000 के अनुसार, एनबीएफसी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपना तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता तैयार करेंगे जो 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाली इसके लेखा वर्ष से प्रभावी होगी। इसलिए 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष से, विवरणी के भाग 3 में जानकारी वर्तमान तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार होगी और इस प्रकार विवरणी की तारीख के साथ मेल खाएगी।*

2. विवरणी को जमा करने में किसी भी कारण से देरी नहीं होनी चाहिए जैसे कि वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देना/पूरा करना। विवरणी का संकलन कंपनी के खाता-बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए और इसके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इसे प्रमाणित किया जाना चाहिए।

---

[32] एनबीएफसी के लिए अधिसूचना संख्या 141 और एमएनबीसी के लिए अधिसूचना संख्या145 द्वारा, दोनों दिनांक 30 जून, 2000 को जारी

3. खातों की संख्या वास्तविक आंकड़े में दी जानी चाहिए जबकि जमा राशि लाख रुपए में दर्शाई जानी चाहिए। राशि को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 4,56,100 रुपये की राशि को 5 के रूप में दिखाया जाना चाहिए न कि 4.6 या 5,00,000 के रूप में। इसी प्रकार, 61,49,500 रुपये की राशि को 61 के रूप में दिखाया जाएगा न कि 61.5 या 61,00,000 के रूप में।

4. विवरणी किसी प्रबंधक (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और यदि ऐसा कोई प्रबंधक नहीं है, तो प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है और जिसका नमूना हस्ताक्षर इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। यदि नमूना हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो विवरणी पर हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसका नमूना हस्ताक्षर अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

5. यदि विवरणी के किसी भाग/मद में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो " खातों की संख्या" के लिए बने स्तंभ के संबंधित भाग/मद में " कुछ नहीं" चिह्नित किया जाएगा और "राशि" के लिए बने स्तंभ में 00 इंगित किया जाएगा।

6. इस विवरणी में उल्लिखित 'सहायक कंपनियों' और 'एक ही समूह की कंपनियां' का वही अर्थ होगा जो उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 और धारा 372 (11) में क्रमशः दिया गया है, जैसा कि 31 अक्टूबर 1998 को कंपनी अधिनियम में संशोधन से पहले था।

7. यदि यह विवरणी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (इंटरनेट) के माध्यम से निर्दिष्ट वेब सर्वर में दाखिल की जा रही है; तो इसकी एक विधिवत हस्ताक्षरित हार्ड प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।

<u>कंपनी प्रोफाइल</u>

1.	कंपनी का नाम				
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता		पिन		
	फोन नंबर		फैक्स नंबर		ई-मेल
3.	उस राज्य का नाम जिसमें कंपनी पंजीकृत है				
4.	कॉर्पोरेट / प्रधान कार्यालय का पता		पिन		
	फोन नंबर		फैक्स नंबर		ई-मेल
5.	निगमीकरण की तारीख				
6.	कारोबार शुरू करने की तारीख				
7.	नाम और आवासीय पता : i) अध्यक्ष				
	ii) प्रबंध निदेशक/सीईओ				
8.	क्या यह एक सरकारी कंपनी है (कृपया सही का निशान लगाएं):	हां		नहीं	
9.	कंपनी की स्थिति (कृपया सही का निशान लगाएं):				
		i) पब्लिक लिमिटेड		ii) डीम्ड पब्लिक	
		(iii) प्राइवेट लिमिटेड		(iv) संयुक्त उद्यम	

10.	कंपनी का वित्तीय वर्ष	
11.	व्यवसाय की प्रकृति	
12.	आरबीआई के साथ पंजीकरण की स्थिति i) पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख यदि, आरबीआई द्वारा जारी किया गया है	
	ii) यदि पंजीकृत नहीं है, तो बताएं कि क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत किया गया है / लंबित है	
13.	कंपनी का वर्गीकरण (यदि रिज़र्व बैंक द्वारा एचपी/पट्टादायी/ऋण/निवेश/एमबीसी आदि के रूप में दिया गया है और ऐसे वर्गीकरण की संदर्भ संख्या और तारीख)	
14.	**क्रेडिट रेटिंग** : i) नियत रेटिंग	
	ii) रेटिंग की तिथि	
	iii) रेटिंग एजेंसी का नाम	
	iv) क्या पिछली रेटिंग के बाद से कोई परिवर्तन हुआ है (विवरण)	
15.	शाखाओं/कार्यालयों की संख्या (कृपया नोट 1 के अनुसार नीचे दिए गए प्रारूप में उनके नामों और पतों की सूची संलग्न करें)	
16.	यदि एक सहायक कंपनी है, तो कृपया होल्डिंग कंपनी का नाम और पता बताएं	
17.	यदि कंपनी की सहायक / सहयोगी कंपनियां हैं तो उनकी संख्या. (कृपया नोट 2 के अनुसार नीचे दिए गए प्रारूप में नाम, पता , निदेशकों का नाम और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों के विवरण से संबंधित सूची संलग्न करें)	
18.	यदि एक संयुक्त उद्यम है, तो इसे प्रमोट करने वाली संस्था(ओं) का नाम और पता	
19.	कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के नाम पता और फोन नंबर	
20.	कंपनी के बैंकरों के नाम, पता और फोन नंबर	

<u>नोट (1) : शाखाओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप :</u>

क्र.सं	शाखा का नाम	उद्घाटन की तिथि	पता	शहर	जिला	राज्य	जनता की जमा राशि
	शाखाओं की कुल संख्या						सभी शाखाओं में जमा जनता की कुल जमा राशियां (राशि)
							दिनांक..... के तुलन-पत्र के अनुसार जनता की कुल जमा राशियां (राशि)

<u>नोट (2): सहायक कंपनियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप:</u>

क्र.सं	सहायक कंपनी का नाम	पता	निदेशकों का नाम	व्यावसायिक गतिविधि

आस्तियों और देनदारियों का विवरण (31 मार्च, 200-- तक)

भाग ---- 1

जनता की जमाराशियां

(राशि लाख रुपए में)

मद सं	विवरण	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
1	जनता से सावधि जमा, आवर्ती जमा आदि के रूप में प्राप्त जमाराशियां	111		
	(i) किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा शेयरधारकों से प्राप्त जमाराशियां (निधि के अलावा)	112		
	(ii) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रथम नामित शेयरधारक के अलावा अन्य संयुक्त शेयरधारकों से प्राप्त जमाराशियां।	113		
3.	(i) गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूति रहित डिबेंचर जारी करके प्राप्त धन (कृपया नीचे दिए गए अनुदेश संख्या 1 देखें)	114		
	(ii) किसी अन्य प्रकार की जनता की जमाराशियां, कृपया निर्दिष्ट करें)	115		
4.	**कुल (111 से 115)**	**110**		
5	उपरोक्त मद 4 में कुल जमा राशियों में से, जो प्रतिदेय हैं (i) एक वर्ष के भीतर	121		
	(ii) 1 वर्ष बाद लेकिन 2 वर्ष तक	122		
	(iii) 2 वर्ष बाद लेकिन 3 वर्ष तक	123		
	(iv) 3 वर्ष बाद लेकिन 5 वर्ष तक और	124		
	(v) 5 वर्ष बाद	125		
6.	**कुल (121 से 125)**	**120**		
7.	उपरोक्त मद 4 में जनता की जमाराशियों का विवरण, ब्याज दर के अनुसार (दलाली यदि कोई हो, को छोड़कर)			
	(i) 10% से कम	131		
	(ii) 10% या अधिक लेकिन 12% से कम	132		
	(iii) 12% या अधिक लेकिन 14% से कम	133		
	(iv) 14% या अधिक लेकिन 16% से कम	134		
	(v) 16% पर	135		
	(vi) 16% से अधिक लेकिन 18% तक	136		
	(vii) 18% से अधिक	137		
8.	**कुल (131 से 137)**	**130**		
9.	आकार के अनुसार जनता की जमाराशियों का विवरण i) जनता से प्राप्त सावधि जमा आदि (उपरोक्त मद सं. 1 देखें)			
	ए) 10,000 रुपये तक	141		
	बी) 10,000 रुपये से अधिक	142		
	ii) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में शेयर धारकों से प्राप्त जमाराशियां (उपरोक्त मद सं. 2 देखें)			

	ए) 10,000 रुपये तक	143		
	बी) 10,000 रुपये से अधिक	144		
	iii) गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूति रहित डिबेंचर (ऊपर मद सं.3 देखें)			
	ए) 10,000 रुपये तक	145		
	बी) 10,000 रुपये से अधिक	146		
10.	**कुल (141 से 146) [मद110 के सामने दिखाई गई राशि से मेल खाना चाहिए]**	**140**		
11.	ऊपर मद 4 पर जमाराशियों में से: i) जो परिपक्व हो गए हैं लेकिन जिनका दावा नहीं किया गया है।	151		
	ii) जो परिपक्व हो चुके हैं, और जिनका दावा किया गया है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है (कृपया नीचे दिए गए अनुदेश संख्या 2 देखें) ए) जनता से (उपर्युक्त मद संख्या 1 देखें)	152 153		
	बी) शेयरधारकों से (उपर्युक्त मद सं. 2 देखें)	154		
	सी) डिबेंचर धारकों से (उपर्युक्त मद सं. 3 देखें) (कृपया अनुबंध सं..... में (ए) (बी) और (सी) का विवरण प्रस्तुत करें)	155		
	iii) जिन्हें ऊपर मद (ii) के सामने दिखाया गया है जहां सीएलबी ने भुगतान के आदेश पारित कर दिए हैं।	156		
12.	दलाली के भुगतान द्वारा वर्ष के दौरान जुटाई गई जनता की जमाराशियां	157		
13.	भुगतान की गई दलाली	158		
14.	13 से 12 का %	159		
15.	जनता की जमाराशियां जो परिपक्व हो गई हैं लेकिन परिपक्व होने वाले वर्ष सहित 7 वर्षों से दावा नहीं किया गया है	160		

<u>अनुदेश:</u>

1. आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड के मामले में, परिवर्तनीय हिस्से को भाग-2 की मद 9 के सामने दिखाया जाना चाहिए। गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूति रहित डिबेंचर को इस मद में शामिल किया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक जमा का भुगतान न करने के कारण और सीएलबी आदेश (यदि कोई हो) के अनुपालन सहित पुनर्भुगतान के लिए उठाए गए कदमों को एक अनुबंध में इंगित किया जाना चाहिए।

भाग 2
अन्य उधारों का विवरण

मद सं	विवरण	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
1	केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/अन्य से उधार लिया गया धन जिसकी चुकौती केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है	221		
2.	से उधार लिया गया धन: i) विदेशी सरकार	222		
	ii) विदेशी प्राधिकरण	223		
	iii) विदेशी नागरिक या व्यक्ति	224		
	कुल (222 से 224)	**225**		
3.	से उधार: (i) बैंक	226		
	(ii) अन्य निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान	227		
4.	किसी अन्य कंपनी से उधार लिया गया धन	228		
5.	निदेशकों/प्रवर्तकों से गैर जमानती ऋण	229		
6.	एक निजी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से उधार लिया गया धन	230		
7.	प्रतिभूति जमा के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त और कंपनी और कर्मचारियों के नाम पर एक अनुसूचित बैंक या डाकघर के संयुक्त खातों में रखा गया धन	231		
8.	उधारकर्ताओं, पट्टेदारों, किराएदारों से जमानती राशि, मार्जिन राशि के रूप में या कंपनी के व्यवसाय के दौरान एजेंटों से प्रतिभूति या अग्रिम के रूप में प्राप्त धन या माल या संपत्तियों की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त आदेशों के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम	232		
9.	परिवर्तनीय या जमानती डिबेंचर/बांड जारी करने से प्राप्त धन (कृपया नीचे दिए गए निदेश देखें)	233		
10.	उपरोक्त में से, बैंकों / अन्य एनबीएफसी द्वारा सब्सक्राइब किए गए डिबेंचर	234		
11.	आवंटन हेतु लंबित शेयरों, बांडों या डिबेंचरों के अभिदान के माध्यम से प्राप्त धन, या शेयरों पर अग्रिम मांग के माध्यम से प्राप्त धन (पुनर्वित्त के लिए देय नहीं)।	235		
12.	वाणिज्यिक पत्र	236		
13.	निदेशकों के रिश्तेदारों से प्राप्त जमाराशियां	237		
14.	म्युचुअल फंड से उधार	238		
15.	कोई अन्य (जिन्हें जनता की जमाराशियों के रूप में नहीं माना जाता - कृपया निर्दिष्ट करें)	239		
16.	**कुल (221 + 225 + 226 से 233+235 से 239)**	**250**		

अनुदेश:

आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड के मामले में, उपरोक्त भाग -2 के मद 9 के सामने केवल परिवर्तनीय हिस्सा दिखाया जाना चाहिए।

भाग - 3

निवल स्वाधिकृत निधि

[आंकड़े विवरणी की तारीख से पहले के नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार या विवरणी की तारीख के तुलन-पत्र के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे]

[दिनांक..... को तुलन -पत्र]

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1.	पूंजीगत निधि : (i) चुकता इक्विटी पूंजी	311	
	(ii) चुकता अधिमानी शेयर जो इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय हैं	312	
	(iii) निर्बंध आरक्षित निधियां (कृपया नीचे दिए गए अनुदेश संख्या 1 देखें)	313	
2.	**कुल (311+312+313)=ए**	**310**	
3.	(i) संचित हानि शेष	321	
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय शेष	322	
	(iii) अन्य अमूर्त आस्तियां (कृपया निर्दिष्ट करें)	323	
4.	**कुल (321+322 +323) = बी**	**320**	
5.	**स्वाधिकृत निधि (ए - बी) अर्थात (310-320) = सी**	**330**	
6.	के शेयरों में निवेश का बही मूल्य : (i) कंपनी की सहायक कंपनियां	341	
	(ii) एक ही समूह की कंपनियाँ	342	
	(iii) अन्य सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अनुबंध संख्या ..... में विवरण प्रस्तुत किया जाए)	343	
7.	के डिबेंचर और बांड में निवेश का बही मूल्य: (i) कंपनी की सहायक कंपनियां	344	
	(ii) एक ही समूह की कंपनियाँ (अनुबंध संख्या ..... में विवरण प्रस्तुत किया जाए)	345	
8.	खरीदे/भुनाए गए बिल, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, किराया खरीद और पट्टा वित्त, सीपी सहित निम्न के साथ बकाया ऋण और अग्रिम: (i) कंपनी की सहायक कंपनियां	346	
	(ii) एक ही समूह की कंपनियाँ (अनुबंध संख्या ..... में विवरण प्रस्तुत किया जाए) (कृपया नीचे दिए गए अनुदेश संख्या 2 देखें)	347	
9.	**कुल (341 से 347) = डी**	**340**	
10.	**डी,** सी के 10% से अधिक **(340, 330 के 10% से अधिक) = ई**	**351**	
11.	**निवल स्वाधिकृत निधि (350-351)=(सी-ई)**	**350**	

12.	चुकता अधिमानी शेयर पूंजी जो नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय नहीं है	361	
13.	चुकता अधिमानी शेयर पूंजी जो इस विवरणी की तारीख को अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय नहीं है	362	
14.	विवरणी की तारीख से पहले की नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार कुल देनदारियां	363	
15.	इस विवरणी की तारीख के अनुसार कुल देयता	364	

अनुदेश.

1. उपर्युक्त मद 1(iii) के तहत उल्लिखित "निर्बंध आरक्षित निधियां" में शेयर प्रीमियम खाते, पूंजी और डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि और तुलन-पत्र में दिखाए गए या प्रकाशित किए गए किसी भी अन्य आरक्षित निधि जिसे लाभ के आवंटन के माध्यम से सृजित किया गया है (लाभ और हानि खाते के जमा शेष सहित) में उपलब्ध शेष शामिल होगी, जो निम्न नहीं हैः-

(i) भविष्य की किसी देनदारी के पुनर्भुगतान के लिए या आस्तियों के मूल्यह्रास के लिए या गैर-निष्पादित आस्तियों/अशोध्य ऋणों के विरुद्ध प्रावधान के लिए सृजित आरक्षित निधि; या
(ii) कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षित निधि।

2. किराया खरीद और पट्टा वित्त का अर्थ है :
(i) किराया खरीद आस्ति के मामले में, भविष्य की प्राप्य किस्तों की राशि जिसे अपरिपक्व वित्त प्रभारों के शेष से घटाया गया है; और
(ii) पट्टे आस्ति के मामले में, पट्टा आस्ति का ह्रासित बही मूल्य जोड़/घटाव पट्टा समायोजन खाते में शेष राशि;

देय लेकिन अप्राप्त राशि को दोनों मामलों में जोड़ा जाना चाहिए।

भाग - 4

अंतर-कॉर्पोरेट जमा/वाणिज्यिक पत्रों सहित बकाया ऋण और अग्रिम

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1	कंपनी की सहायक कंपनियों में ऋण और अग्रिम आदि	411	
2	एक ही समूह की कंपनियां	412	
3	कंपनियां, फर्म और स्वामित्व प्रतिष्ठान जहां कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित है (कृपया भाग-5 का नोट 1 देखें)। (अनुबंध संख्या .....में विवरण)	420	
4.	अन्य: (i) कंपनियां जो एक ही समूह की न हों	431	
	(ii) निदेशक/प्रवर्तक	432	
	(iii) शेयरधारक	433	
	(iv) स्टाफ सदस्य	434	
	(v) जमाकर्ता	435	
	(vi) अन्य	436	
5.	**कुल (411 +412 +420 +431 से 436) 400**	**400**	

निदेश:

(1) "पर्याप्त हित" का वही अर्थ होगा जो इसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) विविध देनदार, अग्रिम में भुगतान किया गया कर और अन्य वसूली योग्य वस्तुएं जो ऋण और अग्रिम की प्रकृति में नहीं हैं, उपरोक्त भाग-4 में नहीं दिखाया जाना चाहिए।

(3) अन्य कंपनियों के साथ सावधि जमा को मद 1, 2, 3 और 4 (i) जैसा भी मामला हो, के तहत शामिल किया जाना चाहिए,

(4) सूची से इतर डिबेंचर में निवेश को जमा माना जाएगा न कि निवेश।

भाग - 5 (i)

निवेश (बही मूल्य पर)

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1.	में निवेश - (i) बैंकों के पास सावधि जमा/ बैंकों द्वारा जारी किया गया जमा प्रमाणपत्र	541	
	(ii) बैंकों के साथ किसी अन्य जमा खाते में शेष	542	
	(iii) केंद्र/राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां और केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत बांड.	543	
	(iv) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इकाइयां	544	
	(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें .....)	545	
2.	शेयरों में निवेश: (i) उद्धृत भाव वाले	511	
	(ii) सूची से इतर	512	
3.	डिबेंचर और बांड में निवेश	515	
4.	कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों/बांडों में निवेश जहां कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं (कृपया भाग-4 का अनुदेश संख्या 1 देखें) (अनुबंध संख्या..... में विवरण)	520	
5.	**कुल [541 से 545 + 511 + 512 + 515 + 520]**	**500**	

अनुदेश:

(1) निवेश खाते में या विक्रेय माल के माध्यम से धारण किए गए शेयरों, डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों का विवरण इस भाग में शामिल किया जाना चाहिए।

(2) अन्य कंपनियों के पास सावधि जमा यहाँ शामिल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन भाग -4 में दिखाया जाना चाहिए।

(3) सूची से इतर डिबेंचर/बांड में निवेश को जमा माना जाएगा न कि निवेश।

भाग - 5 (ii)

उद्धृत भाव वाले शेयर/डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1	बही मूल्य	551	
2	बाजार मूल्य	552	

भाग-6.

किराया खरीद व्यवसाय

मद सं	किराया पर लिए गए वस्तु की प्रकृति	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
1	मोटर-वाहन :			
	(i) भारी वाणिज्यिक वाहन	611		
	(ii) दुपहिया सहित हल्के वाणिज्यिक वाहन	612		
	(iii) अन्य	613		
2.	**कुल [611+612+613]**	**610**		
3.	घरेलू टिकाऊ वस्तुएं	621		
4.	डाटा प्रोसेसिंग / कार्यालय स्वचालन उपकरण	622		
5.	कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, बुलडोजर, आदि)	623		
6.	उद्योगों में उपयोग के लिए औद्योगिक मशीनरी या उपकरण	624		
7.	अन्य सभी	625		
8.	**कुल [610+ 621 से 625] 600**	**600**		
9.	उपरोक्त 8 में से निम्न से बकाया एक ही समूह की कंपनियाँ / सहायक कंपनियाँ / कंपनियाँ, फर्म और स्वामित्व प्रतिष्ठान जहाँ कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं।	691		

भाग - 7
उपकरण पट्टे पर देने का व्यवसाय

मद सं	पट्टे पर दिए गए उपकरण की प्रकृति	मद कोड	पट्टे पर दी गई सकल आस्तियां	संचित मूल्यह्रास +/- पट्टा समायोजन खाता	पट्टे पर दी गई निवल आस्तियां + देय लेकिन अप्राप्त राशि
1	संयंत्र व मशीनरी	701			
2	डाटा प्रोसेसिंग/कार्यालय उपकरण	702			
3	वाहन	703			
4	अन्य	704			
5	**कुल (701+702+703+704)**	**700**			
6.	उपरोक्त 5 में से निम्न से बकाया	791			

	एक ही समूह की कंपनियाँ / सहायक कंपनियाँ / कंपनियाँ, फर्म और स्वामित्व प्रतिष्ठान जहाँ कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं/ रुचि रखते हैं।				

भाग - 8
बिल व्यवसाय

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1.	खरीदे/भुनाए गए बिल जहां आहरणकर्ता, अदाकर्ता या कोई बेचानकर्ता है: i) कंपनी की सहायक कंपनियां	801	
	(ii) एक ही समूह की कंपनियाँ	802	
	(iii) कंपनियां या फर्म जिनमें कंपनी का कोई निदेशक पर्याप्त हित रखता हो या उसके स्वामित्व वाली स्वामित्व प्रतिष्ठान	803	
2.	उपरोक्त 1 के अलावा खरीदे/भुनाए गए बिल	820	
3.	**कुल (801 + 802 + 803 + 820)**	**800**	

भाग - 9

अन्य अचल आस्तियों के बारे में विवरण

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1	अचल आस्तियां (i) स्वयं के उपयोग के लिए भूमि और भवन	901	
	(ii) भूमि और भवन - अन्य	902	
	(iii) फर्नीचर और जुड़नार	903	
	(iv) वाहन	904	
2	अमूर्त को छोड़कर अन्य आस्तियां	905	
3	**अन्य आस्तियों का योग (901 + 902 + 903 + 904 + 905) 910**	**910**	
4	**कुल आस्तियां [अमूर्त को छोड़कर] (400 + 500 + 600 + 700 + 800 +910)**	**900**	

भाग - 10

31 मार्च, 200..... को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार सांख्यिकी/जानकारी—

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1	I. संवितरण (निधि आधारित गतिविधियां) उपकरण पट्टे पर देना:		
	(ए) विवरणी की तारीख के अनुसार बकाया शेष	1001	
	बी) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1002	
2.	किराया खरीद:		
	(ए) विवरणी की तारीख के अनुसार बकाया शेष	1003	
	बी) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1004	
3.	**ऋण** (ए) कॉरपोरेट को शेयरों के बदले ऋण:		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	1005	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1006	
	(बी) व्यक्तियों को शेयरों के बदले ऋण:		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	1007	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1008	
	(सी) दलालों को शेयरों के बदले ऋण:		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	1009	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1010	
	(डी) प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के वित्तपोषण के लिए ऋण:		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	1011	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1012	
	(ई) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण / जमा:		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	1013	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1014	
	(एफ) अन्य	1015	
4.	खरीदे/भुनाए गए बिल :		
	(ए) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	1016	
	(बी) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1017	
5.	4 में से पुनर्भुनाए गए बिल:		
	(ए) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	1018	
	(बी) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1019	
6.	**II. शेयरों/प्रतिभूतियों में व्यापार (एसएलआर के अलावा अन्य उद्धृत)**		
	शेयरों/डिबेंचरों/वाणिज्यिक पत्रों की खरीद/बिक्री: (ए) खरीद	1020	
	(बी) बिक्री	1021	
7.	**III. शुल्क आधारित गतिविधियाँ** पूंजी बाजार परिचालनों के लिए जारी गारंटी:		
	(ए) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	1022	
	(बी) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1023	
8.	अन्य उद्देश्यों के लिए जारी की गई गारंटी:		
	(ए) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	1024	

	(बी) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1025	
9.	वर्ष के दौरान समूहित पट्टा/किराया खरीद	1026	
10.	वर्ष के दौरान समूहित ऋण/आईसीडी	1027	
11.	वर्ष के दौरान समूहित बिल	1028	
12.	हामीदारी : (ए) हामीदारी की गई कुल राशि	1029	
	(बी) न्यागत राशि	1030	
	(सी) बकाया प्रतिबद्ध राशियां	1031	

भाग - 10(ए)
अतिदेय की स्थिति

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1	12 महीने से अधिक का पट्टा अतिदेय	1041	
2	12 महीने तक का पट्टा अतिदेय	1042	
3	12 महीने से अधिक का किराया खरीद अतिदेय	1043	
4	12 महीने तक का किराया खरीद अतिदेय	1044	
5	6 महीने से अधिक का अन्य अतिदेय	1045	
6	6 महीने तक का अन्य अतिदेय	1046	
7.	**कुल (1041+1046)**	**1040**	

भाग - 11
चयनित आय और व्यय का विवरण
(कृपया नीचे दिए गए निदेश देखें)

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1	**निधि आधारित आय :** सकल पट्टा आय	1101	
2	घटाएं: पट्टे पर दी गई आस्तियों पर मूल्यह्रास + / - पट्टा समानता	1102	
3	निवल पट्टा आय **(1101-1102)**	1103	
4	किराया खरीद आय	1104	
5	बिल भुनाई आय	1105	
6	निवेश आय		
	(ए) लाभांश / ब्याज	1106	
	(बी) शेयरों / डिबेंचर / वाणिज्यिक पत्रों की बिक्री पर लाभ / हानि (+ / -)	1107	
7	ब्याज आय		
	(ए) अंतर-कॉर्पोरेट जमा / ऋण	1108	
	(बी) अन्य ऋण और अग्रिम	1109	
8	अन्य निधि आधारित आय	1110	
9	कुल निधि आधारित आय **(1103 से 1110)**	**1111**	
10	**शुल्क आधारित आय** व्यापारी बैंकिंग गतिविधियों से आय	1112	
11	हामीदारी कमीशन	1113	
12	बिल, ऋण, आईसीडी, पट्टा और किराया खरीद के समूहन से आय	1114	

13	विविध आय	1115	
14	**कुल शुल्क आधारित आय (1112 से 1115)**	**1116**	
15	**कुल आय (1111+1116)**	**1100**	
16	**<u>ब्याज और अन्य वित्तपोषण लागत</u>** सावधि जमाओं पर ब्याज भुगतान	 1117	
17.	आईसीडी पर ब्याज भुगतान	1118	
18	दलाली	1119	
19	दलालों पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति	1120	
20	अन्य वित्तपोषण लागत	1121	
21	बिल पुनर्भुनाई शुल्क	1122	
22	**कुल वित्तपोषण लागत (1117 से 1122)**	**1123**	
23	**<u>परिचालन खर्च</u>** कर्मचारी लागत	 1124	
24	अन्य प्रशासनिक लागत	1125	
25	**कुल परिचालन लागत (1124 + 1125)**	**1140**	
26	स्वयं की परिसपंत्तियों पर मूल्यह्रास	1126	
27	परिशोधित अमूर्त आस्ति	1127	
28	निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	1128	
29	अनर्जक आस्तियों के विरुद्ध प्रावधान	1129	
30	अन्य प्रावधान यदि कोई हो	1130	
31	**कुल खर्च (1123 +1140 + 1126 से 1130)**	**1150**	
32	**कर पूर्व लाभ (1100 – 1150)**	**1160**	
33	**कर**	**1170**	
34	**कर के बाद लाभ (1160 - 1170)**	**1180**	

निदेश :

(1) इस भाग में विवरण पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होना चाहिए। यदि कंपनी 31 मार्च के अलावा किसी अन्य तिथि को अपनी बही बंद करती है, तो बहियों के बंद होने की तिथि और अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(2) "सकल पट्टा आय" में पट्टा किराया (रिबेट को घटाकर), पट्टा प्रबंधन शुल्क, पट्टा सेवा शुल्क, अग्रिम शुल्क, पट्टे पर दी गई आस्तियों की बिक्री पर लाभ और पट्टे के कारोबार से संबंधित विलंबित/देरी से भुगतान का शुल्क (किए गए/अंतिम रूप दिए गए पट्टा करार के संबंध में आस्तियों की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान पर ब्याज / मुआवजा शुल्क सहित) शामिल है।

(3) 'पट्टा समायोजन खाता' का वही अर्थ है जो आईसीएआई द्वारा जारी पट्टा लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) में है।

(4) 'किराया खरीद आय' में वित्त प्रभार (रिबेट को घटाकर), किराया सेवा शुल्क, विलंबित/देरी से भुगतान का शुल्क, अग्रिम शुल्क और किराया खरीद व्यवसाय से संबंधित अन्य आय (चिह्नित किराएदारों के लिए किराया खरीद आस्तियों के अधिग्रहण के लिए अग्रिम भुगतान पर अर्जित ब्याज सहित) शामिल है।

<u>प्रमाणपत्र</u>

1. प्रमाणित किया जाता है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998* (समय-समय पर यथा संशोधित)/विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977* जैसा भी मामला हो, में निहित निदेशों, का अनुपालन किया जा रहा है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में दिए गए विवरण/जानकारी का सत्यापन कर लिया गया है और इसे हर तरह से सही और पूर्ण पाया गया है।

(* कृपया जो लागू न हो उसे हटा दें)

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:
स्थान:

<u>लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट</u>

हमने ----------कंपनी लिमिटेड द्वारा इस विवरणी में प्रस्तुत डेटा के संबंध में अनुरक्षित लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों की जांच की है और यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड द्वारा दिखाए गए अनुसार, इस विवरणी में प्रस्तुत डेटा सही हैं।

स्थानः हस्ताक्षर

तारीख:

सनदी लेखाकारों के नाम

विवरणी के लिए संलग्नक:

1. यदि पहले से नहीं भेजे गए हैं तो विवरणी के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए जाने चाहिए। कृपया संलग्न दस्तावेजों के लिए बने मद के सामने वाले बॉक्स में सही का निशान लगाएं और अन्य मामलों में जमा करने की तारीख बताएं।

(i) लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाते की एक प्रति जिसकी तारीख विवरणी की तारीख के करीब हो।

(ii) नमूना हस्ताक्षर कार्ड।

(iii) 2 जनवरी 1998 की अधिसूचना संख्या डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 के पैरा 4(12) या दिनांक 20 जून 1977 की अधिसूचना संख्या डीएनबीसी.39/डीजी(एच) -77 के पैरा 6 में संदर्भित आवेदन पत्र की एक प्रति।

2. प्रधान अधिकारियों की सूची तथा निदेशकों के नाम और पते संलग्न प्रपत्र में इस विवरणी के साथ भेजे जाएंगे।

भाग – 12

_____ लिमिटेड के प्रमुख अधिकारियों और निदेशकों की सूची.

I. प्रधान अधिकारी

क्र.सं	नाम	पदनाम	पता और टेलीफोन नंबर	यदि किसी कंपनी/कंपनियों में निदेशक हैं, तो उस कंपनी/कंपनियों के नाम

ii. निदेशक

क्र.सं	नाम	पता	निदेशक, उनके पति या पत्नी और नाबालिग बच्चों द्वारा धारित कंपनी के इक्विटी शेयरों का%	अन्य कंपनियों के नाम जहां वह निदेशक है

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/ अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर _____

नाम : _____

पदनाम : _____

स्थानः

दिनांकः